केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX

[केडर नियंत्रण प्राधिकारी CADRE CONTROLLING AUTHORITY]

हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE

जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004

GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAD-500004

C.NO./II/3/21/2018-Estt. Date: 31 -12-2018

स्थापना आदेश सं. ESTABLISHMENT ORDER (N.G.O) No.107/2018

विषयः- स्थापना - केन्द्रीय जीएसटी एवं सीमा शुल्क के हवलदार संवर्ग में अनुकंपा कोटा पर नियुक्ति एवं तैनाती - संबन्धित ।

Sub: Estt. - Appointment and Posting in the cadre of Hawaldar of Central GST & Customs under Compassionate quota - Regarding.

*****

केन्द्रीय जीएसटी एवं सीमा शुल्क के हवलदार पद हेतु चयनित, **श्री जी विग्नेश कुमार, पुत्र स्व. शिव कुमार** को, हैदराबाद & विशाखापटनम अंचल के सामान्य संवर्ग में, अनुकंपा कोटा पर, सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के अनुसार 7वे केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन सारिणी के लेवल-1 पर, समय समय पर देय अन्य भत्तों सहित ग्रेड-पे रु. 18,000 - 56,900/- पर अस्थायी तौर पर तथा अगले आदेशों तक हवलदार के पद पर नियुक्त किया जाता है। उनकी नियुक्ति उनके ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की तिथि से प्रभावी होगी।

Shri G.VIGNESH KUMAR, S/o Late G.SHIV KUMAR, selected for the post of Hawaldar of Central GST & Customs in the common cadre of Hyderabad & Visakhapatnam Zones is hereby appointed as Hawaldar under Compassionate quota temporarily and until further orders in the Pay Grade of Rs.18,000-56,900/- in level-1 of 7th CPC pay matrix as per CCS (Revised Pay) Rules, 2016 plus allowances as admissible from time to time. His appointment shall take effect from the date on which he reports to duty.

2. वे केन्द्रीय जीएसटी एवं सीमा शुल्क के हवलदार [वर्ग - ग पदों] भर्ती नियमावली, 2017 एवं केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित होंगे।

He will be governed by the provisions of the Central GST and Customs Department Hawaldar [Group C Posts] Recruitment Rules, 2017 & CCS (Conduct) Rules, 1964.

3. वह ड्यूटी पर लिए जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के अधीन रखा जाएगा। उनका बहुकारी कर्मचारी संवर्ग में बनाए रखने/ स्थायीकरण उनके द्वारा परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा कर लेने पर निर्भर करेगा।

He will be kept on probation for a period of two years from the date on which he is taken to duty. His retention / confirmation in the cadre of Hawaldar will depend upon his successful completion of the probation period.

4. आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद & विशाखापटनम अंचल के बहुकारी कर्मचारी के सामान्य संवर्ग में उनकी अन्तः वरीयता लागू आदेशों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

His inter-se-seniority in the common cadre of Hawaldar of Hyderabad/Visakhapatnam Zone in the State of Telangana & Andhra Pradesh will be fixed according to the orders in force.

5. उन्हें तेलंगाना/आन्ध्रप्रदेश के कैडर नियंत्रण अधिकार क्षेत्र में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में तेलंगाना/आन्ध्रप्रदेश के बाहर किसी अन्य आयुक्तालय में उनकी नियुक्ति के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

He is liable to be transferred anywhere within Cadre Control jurisdiction of Telangana & Andhra Pradesh at any point of time. Under no circumstances the request for posting to any other Commissionerate outside Telangana & A.P. will be entertained.

6. वह जब भी अपनी धार्मिक मान्यता को बदलें उन्हें अपने नियोक्ता को सूचित करना होगा।

He should intimate the appointing authority as and when he changes his religious faith.

7. वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के गज़ट में प्रकाशित, असाधारण, भाग- I धारा- I, दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं॰ 5/7/2003-ECB & PR दिनांक- 22.12.2003 के अंतर्गत दी गई पेंशन योजना के दिशा निर्देशों के तहत नियंत्रित होंगे। यह स्थायी सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो पुनः पद नियुक्ति पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26(2) के अंतर्गत तकनीकी त्यागपत्र प्रस्तुत करते हुए पद ग्रहण करता है।

He will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification No.5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003 – published in Gazette of India, Extraordinary, Part I – Section 1, dated 22.12.2003. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

8. यदि उन्होने रोजगार के लिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पहले से ही आवेदन किया हो/ बैठा हो, तो उन्हे कार्यभार ग्रहण करते समय सूचित करना होगा। अन्य सरकारी /या कोई और कार्यालय में उनकी नियुक्ति के लिए किसी भी आवेदन को अग्रेषित करने या रोकने का पूरा अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित है।

He should also intimate at the time of reporting for duty, if he had already applied / appeared in any other competitive examination for employment. The Head of the Department has full discretion to forward or withhold any of their applications for appointment to other Government Offices or elsewhere.

9. यदि वे पद त्यागने के इच्छुक है तो उन्हें इस इरादे के बारे में 1 माह पहले नोटिस देना होगा तथा अधिकार क्षेत्र वाले सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय जीएसटी आयुक्त से लिखित अनुमति अवश्य प्राप्त करनी होगी। ऐसा करने में चूक होने पर वह प्रासंगिक नियमों में उल्लिखित अर्थ दंड/ दंड के योग्य होंगे।

If he desires to resign, he should give one month notice in advance about his intention to do so and must obtain written permission from the jurisdictional Commissioner of Customs and Central GST. Failure to do so will render him liable to the penalties prescribed in the relevant rules.

10. यदि उनके पास कोई रोजगार नामांकन कार्ड (X.10) है, तो उसे संबन्धित नियोक्ता/ प्रशासनिक प्राधिकरण को लौटाना होगा।

He should surrender his Employment Registration Card (X.10) held if any, to the Appointing / Administrative authority concerned, at the time of reporting for duty.

11. यदि उम्मीदवार द्वारा की गई कोई घोषणा या प्रस्तुत की गई सूचना गलत साबित होती है या यह पाया जाता है की उम्मीदवार ने जानबूझकर कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई है तो उसको सेवा से हटाया जा सकता है और अन्य दूसरी कार्यवाही, जो आवश्यक हो, भी की जा सकती है।

If any declaration given or information furnished by the candidate is proved to be false, or if the candidate is found to have willfully suppressed any material information, he will be liable to be removed from service and also to such other action, as deemed necessary.

12. यह नियुक्ति विशुद्ध रूप से अस्थायी है और संबंधित जिला / पुलिस अधिकारियों से पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के अधीन है। यदि जिला / पुलिस अधिकारियों से कोई भी नकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट मिलती है या उनके द्वारा दिए गए अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन-पत्र में असत्य जानकारी दिया जाना पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति तत्काल ही, बिना कोई कारण बताए, समाप्त कर दी जाएगी ।

His appointment is purely temporary and subject to receipt of the antecedent verification report from the concerned District/Police Authorities. In case of any negative verification report is received from the District/Police Authorities, or it is found that he has given false information in their Application for Compassionate Appointment his services will be terminated immediately without assigning any reason or notice.

13. उन्हें घोषणा प्रस्तुत करना होगी कि "मैं, परिवार के उन सभी सदस्यों की यथोचित देखभाल करूंगा जो शासकीय कर्मचारी पर आश्रित थे और यदि, किसी भी समय, यह साबित हो जाता है कि मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही और और उनकी यथोचित देखभाल नहीं की जा रही है तो मेरी नियुक्ति नियुक्ति निरस्त कर दी जाए"

He should also submit a declaration that "I shall maintain properly the other family members who were dependent on the Government servant and in case it is proved at any time that the said family members are being neglected or not being properly maintained by me, my appointment may be terminated."

14. केन्द्रीय जीएसटी एवं सीमा शुल्क के हवलदार के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप उन्हे हैदराबाद अंचल आवंटित किया जाता है।

Consequent on his appointment as Hawaldar of Central GST & Customs, has been allotted to_Hyderabad Zone.

15. यदि उन्हें उपर्युक्त नियुक्ति आदेश के नियम व शर्तें स्वीकार हो तो वे **अपर आयुक्त (का व सत), हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय, हैदराबाद के समक्ष दिनांक 30.01.2019 को या उससे पहले** कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि वह निर्धारित समय पर या उससे पहले कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उन्हें सूचित किए बिना उनकी नियुक्ति आदेश को रद्द समझा जाएगा। उन्हे तैनाती स्थल पर कार्यग्रहण हेतु कोई भी यात्रा व अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

He should report for duty before the **Additional Commissioner (P&V), Hyderabad GST Commissionerate, Hyderabad, on or before 30.01.2019,** if the above terms and conditions of appointment order are acceptable to him. If he fails to report for duty on or before the stipulated date, this appointment order will be treated as cancelled without making any further reference to them. No traveling or any other allowance will be admissible to them for joining at the place of posting.

(पी. डी. पुलि P.D.PULI)
अपर आयुक्त (का व सत)
ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)

प्रति To

Shri G.Vignesh Kumar, S/o Late G.Shiv Kumar, Flat No.102, Thanmai Residency, Buddha Nagar, Ghatkesar, Boduppal, Telangana- 500039.

स्पीड डाक द्वारा **// BY SPEED POST WITH ACK DUE //**

Copy Submitted to:

1. The Chief Commissioner, Customs & Central GST Hyderabad Zone Hyderabad.

2. The Additional Commissioner/Joint Commissioner (P&V), (CCO) Customs, Central GST Vishakhapatnam Zone, Vishakhapatnam.

3. The CAO/PAO/ACAO/AO, Customs & Central GST Hyderabad/Vishakhapatnam.

4. The Stock File.

(पी. डी. पुलि P.D.PULI)
अपर आयुक्त (का व सत)
ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)